

आदेश

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा जारी विज्ञापन संख्या-1/2017-18 दिनांक 28.08.2017 के तहत अध्यापक लेवल प्रथम (कक्षा 1-5) संस्कृत/सामान्य (नॉन टीएसपी/टीएसपी) ग्रेड III सीधी भर्ती 2017 हेतु प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों के आधार पर आरटेट/रीट के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर अध्यापक (संस्कृत) टीएसपी पद हेतु वरीयता निर्मित कर प्रोविजनल सूची के आधार पर दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही उपरान्त पात्र पाये जाने पर वरीयतानुसार चयन किए जाने के फलस्वरूप चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्कृत विद्यालय में किया जाकर कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के परीक्षा काल पर निम्न शर्तों के अधीन अस्थाई नियुक्ति प्रदान की जाती है।

- 1 वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.14(1) वित्त(नियम)/2013 दिनांक 30.10.2017 एवं क्रमांक एफ.15(1) वित्त(नियम)/2017 दिनांक 09.12.2017 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसरण में अभ्यर्थी को दो वर्ष का परीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् लेवल-10 में रूपये 33800/- न्यूनतम वेतन एवं उसके साथ नियमानुसार भत्ते दिये होंगे।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के नियम 16 के अनुसूची (iv) के अनुसार परीक्षाकाल में नियत पारिश्रमिक रूपये 23700/- प्रतिमाह दिये होंगे।
- 3 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक पं.13(1)वित्त/नियम/03दिनांक 02.08.2005 द्वारा जारी राजस्थान सिविल सेवा(अशदायी पेंशन) नियम, 2005 के प्रावधान लागू होंगे।
- 4 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 6(4) वित्त(नियम)/99 दिनांक 14.01.2004 द्वारा संशोधित चिकित्सा सेवा नियम लागू होंगे।
- 5 राज्य सरकार के आदेशांक एफ 11(1) वित्त(युप-2)/93 दिनांक 14.01.2004 द्वारा जारी संशोधित भवन ऋण नियम लागू होंगे।
- 6 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक पं.7(1) कार्मिक/क-2/95 दिनांक 08.04.2003 द्वारा जारी सन्तान संबंधी प्रावधान लागू होंगे।
- 7 प्रथम पदस्थापन स्थान से तीन वर्ष तक अन्यत्र स्थानान्तरण पर प्रतिबंध रहेगा।

S.No.	REET/RT ET%	Application No	Candidate Name	Father Name	DOB	Gender	Category	Selection Category	Home District	School	PS	District
1	64.67	201700909105	LAKHAN GAMOT	DEVENDRA GAMOT	01/09/1996	Male	GENERAL	GENERAL	BANSWARA	रा.उ.प्रा.सं.वि.दानपुर	छोटी सरवन	बांसवाड़ा
2	64.67	201700896400	KHUSHBU KUMARI VAISHNAV	MADHUSUDAN VAISHNAV	25/12/1998	Female	GENERAL	GENERAL	BANSWARA	रा.प्रा.सं.वि. करणपुर	गढी	बांसवाड़ा
3	64	201700894031	RONAK JAIN	HITESH LAL JAIN	09/11/1989	Female	GENERAL	GENERAL	BANSWARA	रा.उ.प्रा.सं.वि.खोडन	गढी	बांसवाड़ा
4	64	201700896116	SUNITA KUMARI PATEL	DEVCHAND PATEL	15/07/1990	Female	GENERAL	GENERAL	BANSWARA	रा.प्रा.सं.वि. जेदला	घाटोल	बांसवाड़ा
5	64	201700965517	LAILA KUMARI	NATHU SINGH CHOUHAN	25/06/1992	Female	GENERAL	GENERAL	Pratapgarh	रा.प्रा.सं.वि. बरसी सिंघावत	सलुम्बर	उदयपुर
6	62	201700920739	poonam kumari sad	sharan kumar sad	14/10/1990	Female	S.C	S.C	DUNGARPUR	रा.उ.प्रा.सं.वि. भैहणा	बिछीवाड़ा	झुंगरपुर
7	59.33	201700947117	PRAKASH CHANDRA CHARPOTA	DEVILAL CHARPOTA	16/12/1989	Male	S.T	S.T	BANSWARA	रा.उ.प्रा.सं.वि. झूपेल	सज्जनगढ़	बांसवाड़ा

2/11/18

S.No.	REET/RT ET%	Application No	Candidate Name	Father Name	DOB	Gender	Category	Selection Category	Home District	School	PS	District
8	58	201700908287	NEELAM KUMARI MEENA	RAMCHANDRA MEENA	22/11/1994	Female	S.T	S.T	UDAIPUR	रा.प्रा.सं.वि. डामोरवाडा	खैरवाडा	उरयपुर

- नोट:- 1. अभ्यर्थी सर्वप्रथम संकुल केन्द्र पर उपस्थित होकर कार्यारम्भ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। संबंधित संकुल प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थियों से पद के अनुरूप पात्रता, जन्म तिथि, आयु, शैक्षणिक योग्यता (संस्कृत शिक्षक हेतु वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा), वर्ग (श्रेणी) आदि संबंधी मूल प्रमाण पत्रों से जाँच कर पूर्ण संतुष्टि के बाद स्वसत्यापित छाया प्रतियों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (मूल), सन्तान संबंधी घोषणा पत्र, दहेज संबंधी, धूम्रपान नहीं करने संबंधी घोषणा पत्र एवं नियमानुसार नियुक्ति हेतु आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर अभ्यर्थी को तत्काल पदस्थापित विद्यालय में कार्यग्रहण हेतु भिजवायेंगे।
2. संबंधित अभ्यर्थी को कार्यग्रहण कराने से पूर्व नवीनतम नॉन-क्रिमिलेयर पिछड़ी जाति का पिता की आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. अभ्यर्थी से पुलिस चरित्र सत्यापन प्राप्त कर कार्यारम्भ करवाये। पुलिस चरित्र सत्यापन के अभाव में 6 माह की अवधि में पुलिस चरित्र सत्यापन प्रस्तुत करने एवं कोई आपराधिक प्रकरण लम्बित न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यारम्भ करवायें।
4. यदि इस समय कोई अभ्यर्थी किसी विभाग में कार्यरत है तो उस विभाग से नियुक्ति अधिकारी (नियोक्ता) का अनापत्ति प्रमाण पत्र व कार्यन्युक्ति आदेश/त्यागपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु उपस्थित होंगे। संबंधित संकुल प्रभारी पूर्व से सेवारत अभ्यर्थियों से उपर्युक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्यारम्भ करावें।
5. अभ्यर्थी को भारत के संविधान के प्रति सत्य निष्ठा की शपथ निहित प्रारूप में लेनी होगी।
6. राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति के संबंध में समय-समय पर जारी समस्त आदेश इस नियुक्ति पर लागू होंगे।
7. नियुक्त कार्मिकों को दिनांक 15.10.2018 तक कार्यग्रहण करना होगा तत्पश्चात् नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

21/10/18
निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 01/10/2018

क्रमांक: निसंशि/भर्ती अनुभाग/अध्यापक/2017-18/ 39820

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं-

- श्रीमान् सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
- श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षामंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित जिला
- संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी जयपुर/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर (चूरु)/कोटा/उदयपुर/भरतपुर।
- संबंधित संकुल प्रभारी (रावरिउपासवि/राप्रवेसवि) को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थी के कार्यारम्भ करते ही इसकी सूचना अविलम्ब संभाग एवं निदेशालय में भिजवायें।
- संबंधित संस्थाप्रधान।
- संबंधित अभ्यर्थी।
- संस्थापन अनुभाग निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान को व्यक्तिगत पंजिका हेतु।
- संरक्षण पंजिका।

21/10/18
निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर